

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 502
उत्तर देने की तारीख - 19 जुलाई, 2017

इंटरनेट-स्पीड

502. डॉ. किरिट सोमैया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देशभर में ब्रॉडबैंड और वायरलेस कनेक्शन की इंटरनेट-स्पीड अन्य विकसित एवं विकासशील देशों में इंटरनेट की स्पीड की तुलना में खराब एवं अनियमित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट-स्पीड शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट-स्पीड की तुलना में खराब एवं अनियमित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या देश में इंटरनेट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष के अंत तक 500 मिलियन होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में वर्तमान इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एवं ग्रामीण क्षेत्र-वार/शहरी क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (घ) देश में उच्च गुणवत्ता-युक्त एवं उच्च गति वाली इंटरनेट एवं मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए क्या सरकार का नवीनतम प्रकार के अत्याधुनिक संचार उपग्रह छोड़ने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) देश में इंटरनेट-स्पीड में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्य मंत्री
(श्री मनोज सिन्हा)

(क) अकामई (एक अंतर्राष्ट्रीय एंजेसी) की "द स्टेट ऑफ इंटरनेट" संबंधी वर्ष 2017 की पहली तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, 6.5 मेगाहर्ट्ज की औसत कनेक्शन स्पीड के साथ, भारत का वैश्विक रैंक 89 है। अकामई की वर्ष 2016 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार 3.8 मेगाहर्ट्ज की औसत इंटरनेट स्पीड के साथ भारत का वैश्विक रैंक 113 था। इंटरनेट की स्पीड विभिन्न मानदण्डों जैसे प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, नेटवर्क कवरेज, इंटरनेट तक एक साथ पहुँचने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या, अभिगमित वेबसाइट से कनेक्टिविटी इत्यादि पर निर्भर करती है।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र आधार पर बेतार नेटवर्क में औसत थ्रू पुट की निगरानी करता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जारी.....2/

(ग) ट्राई से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार देश में 342.65 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 422.21 मिलियन हो गई है। इस वृद्धि दर पर, वर्ष के अंत तक इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 500 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार इंटरनेट उपभोक्ताओं के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र वार और शहरी क्षेत्र-वार/ग्रामीण क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध पर संलग्न हैं।

(घ) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में, जीएसएटी-19, का/क्यू-बैंड (ka/ku-band) में उच्च शक्ति बहु स्पॉट बीम का उपयोग करते हुए नई पीढ़ी की हाई थ्रू पुट (high throughput) सेटेलाइट का जून 2017 में शुभारंभ किया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह सेटेलाइट इंटरनेट पहुँच और मोबाइल बैंकहॉल प्रदान करने के लिए उच्च डाटा दर ग्राउंड टर्मिनल की सहायता कर सकता है। वर्ष 2018 की पहली तिमाही से पूर्व जीएसएटी-19 अनुवर्ती सेटेलाइट की योजना बनाई गई है।

(ङ) देश में इंटरनेट की स्पीड को सुधारने के लिए दूरसंचार नेटवर्क का निरंतर उन्नयन किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, अंडरग्राउंड फाइबर पॉवर लाइनों पर फाइबर, रेडियो एवं सेटेलाइट मीडिया का इष्टतम मिश्रण उपयोग करते हुए देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) को 100 मेगाहर्ट्ज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना की योजना बनाई गई है। परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत, 1 लाख ग्राम पंचायतों को भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाते हुए जोड़ा जाएगा और चरण-1 के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। चरण-11 के अंतर्गत भूमिगत फाइबर पॉवर लाइनों पर फाइबर, रेडियो एवं सेटेलाइट मीडिया के इष्टतम मिश्रण का उपयोग करते हुए, देश में शेष 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। देश में सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क तक अंतिम स्थल (लास्ट माइल) तक अभिगम होने का प्रावधान और ब्रॉडबैंड सेवा का प्रावधानीकरण, वाई-फाई अथवा अन्य किसी ब्रॉडबैंड अभिगम प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाएगा। सरकार द्वारा अभिगम सेवाओं के लिए विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अक्टूबर, 2016 में नीलामी के माध्यम से 965 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है। देश में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 3जी/4जी नेटवर्क का आरंभ उत्तरोत्तर रूप से किया जा रहा है।

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार लाइसेंस सेवा क्षेत्र-वार, ग्रामीण/शहरी उपभोक्ता इंटरनेट का आधार
[उपभोक्ता मिलियन में]

लाइसेंस सेवा क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	12.10	19.71
असम	4.25	3.82
बिहार	11.91	12.19
दिल्ली	0.69	26.10
गुजरात	8.26	19.04
हरियाणा	3.65	5.99
हिमाचल प्रदेश	2.10	1.66
जम्मू एवं कश्मीर	1.87	2.64
कर्नाटक	6.37	20.50
केरल	6.72	9.83
कोलकाता	0.76	10.90
मध्य प्रदेश	7.70	17.07
महाराष्ट्र	11.75	24.20
मुम्बई	0.50	19.06
पूर्वोत्तर राज्य	2.22	2.53
ओडिशा	4.93	5.58
पंजाब	4.67	11.97
राजस्थान	8.71	12.84
तमिलनाडु	8.08	24.24
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	13.41	15.18
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	7.10	12.83
पश्चिम बंगाल	8.80	7.78
कुल	136.55	285.66
	422.21	

टिप्पणी: तेलंगाना को शामिल करते हुए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश, झारखण्ड को शामिल करते हुए बिहार, गोवा को शामिल करते हुए महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश (पश्चिम), सिक्किम को शामिल करते हुए पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरज, नागालैण्ड एवं त्रिपुरा राज्यों को शामिल करते हुए पूर्वोत्तर राज्य।